R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 2
अगस्त 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

चेकों को अस्वीकार करना–प्रक्रिया में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 4 अगस्त 2016 को निर्णय लिया है कि चेकों के अस्वीकार करने संबंधी प्रक्रिया में संशोधन किया जाए। यह निर्णय लिया गया है कि खाताधारकों के चेकों को अस्वीकार करने के संबंध में अपने जबाव देना बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। बैंक चेक आहरण सुविधा के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता और चेकों के गैर–इरादतन अस्वीकरण के लिए ग्राहकों को दंडित न करने पर विचार करते हुए अपने बोर्ड या इसकी समिति द्वारा अनुमोदित उचित नीति की शुरुआत करें।

यह रिज़र्व बैंक के पिछले दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिनमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे चेक सुविधा वाले खातों के परिचालन के लिए एक शर्त लगाएं कि वित्तीय वर्ष के दौरान चार अवसरों पर खाते में पर्याप्त निधि के अभाव में चेक आदेशक के विशेष खाते पर 1 करोड़ और उससे अधिक के मूल्य के आहरित चेक को अस्वीकार करने की स्थिति में, उसे नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। साथ ही, बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर भी विचार कर सकता है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10541Mode=0)

भारतीय लेखांकन मानकों (इंडियन एएस) का कार्यान्वयन

रिज़र्व बैंक ने 4 अगस्त 2016 को सूचित किया है कि चुनिंदा अखिल भारतीय मीयादी उधार और पुनर्वित्त संस्थाएं (एआईएफआई) (एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश या निदेश के अधीन कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत यथाअधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों का निम्नलिखित तरीके से अनुपालन करेंगे:

(i) एआईएफआईज 31 मार्च 2018 और इसके बाद के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों हेतु भारतीय लेखांकन मानकों (इंडियन एएस) का अनुपालन करेंगे। भारतीय लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों दोनों पर लागू होंगे। ''तुलनात्मक'' से अभिप्रायः पिछली लेखांकन अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों से है।

(ii) एआईएफआईज केवल उपर्युक्त समयसीमा के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों का उपयोग करें और इन्हें इससे पहले के भारतीय लेखांकन मानक अपनाने की अनुमति नहीं होगी।

2. भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसलिए इन बदलावों को योजनाबद्ध करने, इनको व्यवस्थित करने, जांच करने और कार्यान्वयन तारीख से पहले प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक एआईएफआई को सूचित किया गया है कि वह कार्यपालक निदेशक (या समकक्ष) के रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित करे जिसमें एआईएफआई के अलग–अलग क्षेत्रों के सदस्य शामिल हो जिससे कि कार्यान्वयन प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जा सके। पदनामित सदस्य और टीम का नाम और ब्यौरे हमें ई–मेल के माध्यम से भेजें। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करेगी और तिमाही अंतरालों में बोर्ड को रिपोर्ट करेगी। भारतीय लेखांकन मानक कार्यान्वयन योजना में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) भारतीय लेखांकन मानकों की तकनीकी अपेक्षाएं : चालू लेखांकन ढांचे और भारतीय लेखांकन मानक के बीच अंतरों का नैदानिक विश्लेषण, वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिगत निर्णय, लेखांकन नीतियां बनाना, प्रकटन तैयार करना, प्रलेखन, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों का प्रोफार्मा तैयार करना, भारतीय लेखांकन मानक में बदलाव करने का समयावधि तथा लेखांकन प्रणालियों का ड्राई–रन और वास्तविक अंतरण से पहले एंड–टु–एंड रिपोर्टिंग प्रक्रिया।

ख) प्रणालियां और प्रक्रियाएं : प्रणाली बदलावों का मूल्यांकन करना प्रक्रियाओं का आकलन करना जिसमें बदलाव अपेक्षित हैं, सूचना प्रणालियों (आईटी प्रणालियों सहित) पर काफी प्रभाव डालने वाले मुद्दे, और आवश्यकता पड़ने पर आंकड़ा प्रग्रहण (कैप्चर) प्रणाली विकसित/सुदृढ़ करना।

ग) कारोबार पर प्रभाव: लाभ आयोजना और बजटिंग, कर–निर्धारण, पूंजी आयोजना और पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव।

घ) व्यक्ति संसाधनों का मूल्यांकन : कार्यान्वयन, व्यापक प्रशिक्षण कार्यनीति और कार्यक्रम के लिए पर्याप्त और पूरी तरह से समर्पित आंतरिक स्टाफ।

ङ) परियोजना प्रबंधन : स्टेकधारकों के लिए प्रभावी संप्रेषण कार्यनीतियों के अतिरिक्त लेखांकन, प्रणालियों, व्यक्तियों और कारोबार के बीच संबंध स्थापित कर आयोजना और कार्यान्वयन की संपूर्ण प्रक्रिया संपूर्ण दृष्टिकोण का प्रबंध करना।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10542Mode=0)

बैंकों और भारतीय मीयादी उधार और पुनर्वित्त संस्थाएं (एआईएफआई) में क्षमता निर्माण

रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2016 को अधिसूचित किया है कि क्षमता निर्माण समिति ने समग्र एचआरएम कार्य और एचआरएम कार्य के विशेष क्षेत्रों/घटकों अर्थात भर्ती, निष्पादन आकलन, पदोन्नति, नियोजन, कार्य में अदला–बदली आदि से संबंधित विशेष सिफारिशों के साथ व्यापक सिफारिश की हैं। सिफारिशों की विस्तृत रूप से जांच करने के बाद यह महसूस किया गया है कि बैंकों द्वारा अपने–अपने बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंकों से संबंधित सिफारिशों को सांगठनिक उद्देश्यों और कारोबारी कार्यनीतियों के आधार पर कार्यान्वित किया जा सकता है।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
चेकों को अस्वीकार करना – प्रक्रिया में संशोधन	1
भारतीय लेखांकन मानकों (इंडियन एएस) का कार्यान्वयन	1
बैंकों और भारतीय मीयादी उधार और पुनर्वित्त संस्थाएं (एआईएफआई) में क्षमता निर्माण	1
कॉर्पोरेट बॉन्डों का आंशिक क्रेडिट संवर्धन (पीसीई)	2
बैंकों के तुलन पत्र से इतर निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	2
कंपनियों, एएफसी और एनबीएफसी–आईएफसी को निवेश के लिए जोखिम भार समीक्षा	2
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
सरकारी प्रतिभूति बाजार में रेपो लेनदेन व्यापार	2
कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो / रिवर्स रेपो	2
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
ब्याज सहायता योजना	2
फैक्टरिंग लेनदेनों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार की स्थिति	3
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना बैंक शाखाओं द्वारा आंकड़ों को फीड नहीं किया जाना	3
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
जोखिम–आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा	3
देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान	
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पर कार्य दल की रिपोर्ट प्रकाशित की	4
वर्तमान भारत में बैंकिंग दिलचस्प, लाभदायक और चुनौतीपूर्ण	4
मास्टर परिपत्र / निदेश	

2. समिति ने स्टाफ के प्रमाणन के लिए अनेक सिफारिशें भी की हैं। इस संबंध में समिति की कुछ सिफारिशें जिन्हें बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, निम्नानुसार हैं:

क. बैंकों को मुख्य जिम्मेदारियां उठाने वाले स्टाफ के लिए प्रमाणन के विशेषीकृत क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। शुरू में, बैंक निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्राप्त करना अनिवार्य बनाएं:

- खजाना परिचालन व्यापारियों, मिड-ऑफिस परिचालन।
- जोखिम प्रबंध क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-वार जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।
- लेखांकन वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखापरीक्षा कार्य।
- क्रेडिट प्रबंध क्रेडिट मूल्यांकन, रेटिंग, निगरानी, क्रेडिट प्रशासन।

बैंक कार्य के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रमाणन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों से कहा जाए कि वे एक विनिर्दिष्ट अवधि जैसे 6 महीने के लिए प्रमाणन प्राप्त करें। यह अवधि प्रमाणन के लिए अपेक्षित समय के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। बैंक इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट नीति बनाएं।

ख. दुर्विक्रय के मुद्दों का समाधान करने और ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के लिए तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) खुदरा उत्पादों और धन प्रबंध उत्पादों के विपणन कार्य में लगे कर्मचारियों को आवश्यक रूप से उचित प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। जहां वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों ने कोई प्रमाणन निर्धारित किए हैं, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए।

ग. बैंकिंग उद्योग आदि के अंदर शिक्षण पहलों को आश्वस्त करने और प्रत्यायित करने के लिए प्रत्यायन एजेंसी स्थापित करने के मुद्दे की अलग से जांच की जा रही है। इसी बीच आईबीए से अनुरोध किया गया है कि रिज़र्व बैंक के परामर्श से दिसंबर 2016 के अंत तक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों की सूची की पहचान कर इसे अपने सदस्यों को उपलब्ध कराएं जिनसे उपर्युक्त विभिन्न कार्य क्षेत्रों की प्रमाणन अपेक्षाएं पूरी हो सकें। इस कार्रवाई के लिए आईबीए एक विशेषज्ञ समूह का गठन करे जिसमें ऐसी एजेंसियों, संस्थाओं को शामिल किया जाए जिन्हें आईबीए आवश्यक समझे।

घ. आईबीए द्वारा उपर्युक्त सूची जारी करने के बाद, बैंक उन पाठ्यक्रमों/प्रमाणनों की पहचान करें जो इनके परिचालनों के लिए उपयुक्त हों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति शुरू करें जिसमें संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले इसके कर्मचारियों द्वारा ऐसे प्रमाणन प्राप्त करने का अधिदेश दिया गया हो। बैंक यह सुनिश्चित करें कि मार्च 2017 के अंत तक संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने कार्यपालक निदेशक श्री जी. गोपालकृष्ण की अध्यक्षता में क्षमता निर्माण समिति (जुलाई 2014) गठित की थी, जिसका उद्देश्य बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण से संबंधित वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों को लागू करना, प्रशिक्षण हस्तक्षेप को सरल बनाना और बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग क्षेत्र में बढती चुनौतियों को देखते हुए प्रशिक्षण हस्तक्षेप में बदलावों का सुझाव देना था।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10548Mode=0)

कॉर्पोरेट बॉन्डों का आंशिक क्रेडिट संवर्धन (पीसीई)

रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को निर्णय लिया कि आंशिक क्रेडिट संवर्धन (पीसीई) के लिए बैंकिंग प्रणाली की कुल एक्सपोजर सीमा को बॉन्ड निर्गम आकार के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए जिसमें एक बैंक के लिए बॉन्ड निर्गम आकार की सीमा 20 प्रतिशत तक हो।

2. चूंकि बैंकों द्वारा पीसीई का प्रयोजन कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में व्यापक निवेशक सहभागिता बनाना है, इसलिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे उन कॉर्पोरेट बॉन्डों में निवेश न करें जिन पर अन्य बैंकों का क्रेडिट बढ़ा हुआ है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10571Mode=0)

बैंकों के तुलन पत्र से इतर निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को स्पष्ट किया है कि उन मामलों में जहां व्युत्पन्न अनुबंध की पुनर्संरचना की गई हो, वहां पुनर्संरचना की तारीख को अनुबंध के मार्क-टू-मार्केट मूल्य का नकदी निपटान किया जाए। पुनर्संरिच व्युत्पन्न अनुबंध के मार्क-टू-मार्केट मूल्य में केवल परिवर्तित राशि का नकदी निपटान करने की आवश्यकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि व्युत्पन्न अनुबंध की पुनर्संरचना प्रचलित बाजार दरों पर की गई है, और न कि बाजारेतर दर के आधार पर।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10570Mode=0)

कंपनियों, एएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी को निवेश के लिए जोखिम भार समीक्षा

रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को उक्त संस्थाओं के लिए अनिर्धारित जोखिम लागू करने के लिए जोखिम भार में निम्न रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया :

30 जून 2017 से कंपनियों,एएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी को जिनका बैंकिंग प्रणाली से कुल एक्सपोज़र 200 करोड़ रुपये से अधिक हो, पर 150% का जोखिम भार लगेगा।

हालांकि, कंपनियों, एएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी, जिनका बैंकिंग प्रणाली से कुल एक्सपोज़र 100 करोड़ रुपये से अधिक हो, जिनका पहले मूल्यांकन किया गया हो और बाद में वह अनिर्धारित बन गए हों पर तत्काल प्रभाव से 150% का जोखिम भार लगेगा ।

यहां इस तथ्य को ध्यान में लिया गया कि वर्तमान में इन संस्थाओं पर अनिर्धारित जोखिम पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लग रहा है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10569Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन विभाग

सरकारी प्रतिभूति बाजार में रेपो लेनदेन व्यापार

रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को रेपो लेनदेन में पात्रता की शर्तें और भागीदारी, विशेष रूप से रेपो बाजार में गिल्ट खाता धारकों की भागीदारी के संबंध में अन्य शर्तों को शिथिल करने का और निम्नलिखित लेनदेनों को अनुमति देने का निर्णय लिया:

क. गिल्ट खाता धारक (जीएएच) अपने अभिरक्षक या उसी अभिरक्षक के एक और गिल्ट खाता धारक (जीएएच) के साथ रेपो लेनदेन में भाग ले सकते हैं;

ख. सहकारी बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित सभी पात्र बाजार सहभागियों के साथ रेपो लेनदेन में भाग ले सकते हैं;

ग. सूचीबद्ध कंपनियां सात दिनों की न्यूनतम अवधि के प्रतिबंध के बिना, सभी पात्र बाजार सहभागियों (बैंकों सहित) के साथ रेपो के तहत उधार ले या दे सकती है;

घ. पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियां उन्हें जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के बदले में किसी भी पात्र बाजार प्रतिभागी से उधार ले सकते हैं;

च. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (45) में परिभाषित सरकारी कंपनियों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी, जो गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती हों सभी पात्र बाजार प्रतिभागियों के साथ रेपो के तहत उधार ले/ दे सकती हैं ।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10573Mode=0)

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो / रिवर्स रेपो

रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत दलालों को अनुमति देने और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में दिशा-निर्देशों के अधीन रेपो/ रिवर्स रेपो ठेके शुरू करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10572Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

ब्याज सहायता योजना

रिज़र्व बैंक ने 4 अगस्त 2016 को अधिसूचित किया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना के कार्यान्वयन को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया है :

i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा प्रति किसान ₹ 3,00,000 तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए दिए गए ऋण के मामले में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते कि उधारदाता संस्थाएं जमीनी स्तर पर किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराते हों। फसल ऋण राशि पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता का परिकलन इसके संवितरण/निकासी की तारीख से किसान द्वारा फसल ऋण की वास्तविक चुकौती करने की तारीख या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋणों की देय तारीख, जो भी पहले हो, अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक किया जाएगा।

ii) शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों को फसल ऋण के संवितरण की तारीख से किसान द्वारा वास्तविक चुकौती की तारीख तक या फसल ऋण की चुकौती के लिए बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख, जो भी पहले हो, संवितरण की तारीख से अधिकतम 1 वर्ष तक 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध रहेगी। इसका यह भी अभिप्रायः है कि शीघ्र भुगतान करने वाले किसान वर्ष 2016-17 के दौरान प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत पर अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करेंगे। यह लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो इस प्रकार का ऋण प्राप्त करने के एक वर्ष के बाद इसकी चुकौती करेंगे।

iii) किसानों द्वारा निराशा में अपने सामान की बिक्री को हतोत्साहित करने और वेयरहाउस की रसीद के बदले अपने उत्पाद को वेयरहाउसों में भंडारण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज सहायता का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों के पास फसल निकालने के छह महीनों के बाद तक उसी दर पर उपलब्ध होगा जो वेयरहाउसों में अपना उत्पाद रखने के लिए परक्रामित वेयरहाउस रसीद के बदले फसल ऋण के लिए उपलब्ध है।

iv) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए दो प्रतिशत की ब्याज सहायता बैंकों को पुनर्संरचित राशि पर पहले वर्ष उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति के अनुसार ऐसे पुनर्संरचित ऋण पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लगेगी।

2. बैंक उपर्युक्त योजना का पर्याप्त प्रचार करें जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके।

3. यह भी सूचित किया गया है कि :

i) 2 प्रतिशत ब्याज सहायता और 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता के दावे मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

ii) 2 प्रतिशत ब्याज सहायता के मामले में, बैंकों से अपेक्षित है कि वे 30 सितंबर 2016 और 31 मार्च 2017 को छमाही आधार पर अपने दावे प्रस्तुत करें जिसमें 31 मार्च 2017 के दावों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र साथ होना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि 31 मार्च 2017 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए ब्याज सहायता के दावे सत्य और सही हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए संवितरण से संबंधित शेष दावे और जिन्हें 31 मार्च 2017 के दावे में शामिल नहीं किया गया हो, को अलग से समेकित किया जाए और 'अतिरिक्त दावे' के रूप में मार्क किया जाए जिनकी सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा की गई हो जिससे उनकी सटीकता को प्रमाणित किया जा सके।

iii) 3 प्रतिशत के अतिरिक्त सहायता के मामले में, बैंक 2016-17 में पूरे वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों से संबंधित एकबारगी दावे 30 अप्रैल 2018 तक प्रस्तुत करें जिनकी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई हो जिससे उनकी सटीकता प्रमाणित हो सके।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10540Mode=0)

फैक्टरिंग लेनदेनों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार की स्थिति

एमएसएमई क्षेत्र के लिए चलनिधि सहायता में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2016 को निर्णय लिया है कि ''रिकोर्स के साथ'' आधार पर फैक्टरिंग लेनदेन उन बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे दो विभागीय स्तर पर फैक्टरिंग का कारोबार कर रहे हैं। टीआरईडीएस के माध्यम से होने वाले फैक्टरिंग लेनदेन मंच के परिचालन होने पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

2. बैंक एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत रिपोर्टिंग तारीखों पर अपने बकाया फैक्टरिंग पोर्टफोलियो का वर्गीकरण करें जहां फैक्टरिंग लेनदेन में नियोजक (असाइनर) संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश की सदृश सीमाओं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए मौजूदा लागू दिशानिर्देशों के अधीन एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम है।

3. इस संबंध में, यह भी कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा फैक्टरिंग सेवाओं का प्रावधानों की समीक्षा पर उधारकर्ता का बैंक उधारकर्ता से फैक्टर की गई प्राप्यराशि के संबंध में आवधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है जिससे कि दुहरे वित्तपोषण/गिनती से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, फैक्टर दुहरे वित्तपोषण से बचने की जिम्मेदारी उठाते हुए मंजूर की गई सीमाओं और फैक्टर किए गए ऋणों के ब्यौरों की सूचना उधारकर्ता और संबंधित बैंक को देना सुनिश्चित करे।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10549Mode=0)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना बैंक शाखाओं द्वारा आंकड़ों को फीड नहीं किया जाना

रिज़र्व बैंक ने कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के परामर्श से 25 अगस्त 2016 को सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे फसल बीमा के लिए एकीकृत पोर्टल पर किसान के ब्यौरे डालें। रिज़र्व बैंक के संज्ञान में लाया गया है कि बैंक शाखाओं द्वारा पोर्टल में प्रविष्टियां नहीं की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, एमओए तथा एफडब्ल्यू, राज्य सरकारें आदि आकंड़ों को चुन सकेंगी जिनसे बीमित फसलों के कवरेज, काटे गए प्रीमियम आदि के आकलन में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे शीघ्रताशीघ्र पोर्टल में संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टियां करने के लिए अपनी शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

भारत सरकार के पीएमएफबीवाई परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे शाखाओं के माध्यम से फसल बीमा का लाभ उठाने वाले सभी ऋणी किसानों और गैर-ऋणी किसानों की भूमि और फसल के ब्यौरों सहित सभी संबंधित आंकड़े प्राप्त करें।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और इस योजना के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गैर-ऋणी किसानों की अच्छी संख्या के साथ निर्धारित ऋणी किसानों का 100 प्रतिशत कवरेज़ सुनिश्चित करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10561Mode=0)

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंकों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा जो कि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का एक महत्वपूर्ण घटक है, का संचालन करने के लिए स्टाफ की कमी के जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंतरिक लेखा परीक्षा में सहायता के लिए अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं को काम पर लगाने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है :

i) प्रत्येक बैंक को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऐसे क्षेत्रों में जहां उसके पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है, वहां तीन साल से अनधिक अवधि के लिए अपने सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाओं को शामिल करने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए। नीति में अन्य बातों के साथ नियुक्ति की शर्तें, कार्य निष्पादन की समीक्षा, सेवाओं की समाप्ति आदि को शामिल किया जाए।

ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार से नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मी प्रबंधन के निकट पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करें और ऑडिट रिपोर्ट पर अंतिम हस्ताक्षर की जिम्मेदारी सेवारत बैंक अधिकारियों होगी।

iii) हितों के टकराव से बचने के लिए, सेवानिवृत्त कर्मियों को वे शाखाएं/अनुभाग नहीं सौंपे जा सकते जहां बैंक के साथ सक्रिय सेवा के दौरान उन्होंने काम किया हो।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10575Mode=0)

देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2016 को आयकर निर्धारितियों से अपील की कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी कहा गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की असुविधा से बचा जा सकेगा।

यह देखा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आयकर की देय राशियों को जमा करने के लिए भीड़ प्रत्येक वर्ष में सितंबर के अंत में बहुत अधिक रहती है और रिज़र्व बैंक के लिए रसीदें जारी करने के दबाव से निपटना कठिन हो जाता है, यद्यपि इस प्रयोजन के लिए अधिकतम संख्या में यथासंभव अतिरिक्त काउंटर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

उनतीस एजेंसी बैंकों को आयकर की देय राशियों का भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS PressReleaseDisplay.aspx?prid=37773)

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पर कार्य दल की रिपोर्ट प्रकाशित की

भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अगस्त 2016 को अपनी वेबसाइट पर भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास पर कार्य दल की रिपोर्ट प्रकाशित की।

कार्य दल ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पर पहले की समितियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं बाजार के प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों की विस्तृत जांच के आधार पर बाजार के विकास के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। ये सिफारिशें बाजार संरचना, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन / मूल्यांकन, विनियमन और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के कानूनी पहलुओं से संबंधित हैं।

पृष्ठभूमि

वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की उप-समिति ने 10 सितंबर 2015 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और सभी नियामकों की ओर से प्रतिनिधित्व के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड के विकास पर एक कार्य दल गठित करने का फैसला किया था। तदनुसार, श्री हारून आर. खान, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में और सदस्यों के रूप में वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक कार्य दल गठित किया गया था।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS PressReleaseDisplay.aspx?prid=37815)

वर्तमान भारत में बैंकिंग दिलचस्प, लाभदायक और चुनौतीपूर्ण

डॉ रघुराम जी राजन, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 अगस्त 2016 को मुंबई में आयोजित फिक्की-आईबीए वार्षिक ग्लोबल बैंकिंग सम्मेलन में अपने भाषण में कहा कि ''वित्तीय क्षेत्र के लिए वर्तमान समय दिलचस्प, लाभदायक, और चुनौतीपूर्ण है। दिलचस्प इसलिए कि प्रतिस्पर्धा का स्तर ग्राहकों के लिए और प्रतिभा के लिए कई गुना बढ़ने वाला है, यहां तक कि वित्तीय सेवाओं में निष्क्रिय क्षेत्रों में बदलाव होने जा रहे हैं; लाभदायक है क्योंकि नई प्रौद्योगिकी, सूचना, और नई तकनीक से कारोबार के बेहद नए अवसर खुलेगें और ग्राहक आएंगे; और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि प्रतिस्पर्धा और नवीनता विशेष रूप से जोखिम के मामले में अस्थिर उलझन पैदा करेंगे।''

मास्टर परिपत्र / निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने माह अगस्त, 2016 में निम्नलिखित मास्टर निदेश/परिपत्र जारी किए :-

मास्टर निदेश/ परिपत्र	जारी होने की तारीख
मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	25 अगस्त 2016
मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	25 अगस्त 2016
मास्टर निदेश - विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	25 अगस्त 2016
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट	25 अगस्त 2016
मास्टर निदेश - कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 2016	25 अगस्त 2016
मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से जमाराशि की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 2016	25 अगस्त 2016
मास्टर निदेश प्रत्यक्ष करों की वसूली-ओएलटीएएस	25 अगस्त 2016

यह कहते हुए कि आने वाले दिनों में भारत को भारी परियोजना वित्तपोषण की जरूरत होगी, गवर्नर ने आशा व्यक्त की है कि बैंक इस समय में बिना विचार किए उधार देने में प्रफुल्लित नहीं होंगे। उनके अनुसार, पहले परिसंपत्तियों की परिचालन क्षमता में सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा और सही पूंजी संरचना बनानी होगी ताकि सभी हितधारकों को फायदा हो सके। इस बारे में, उन्होनें दो मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई का सुझाव दिया - नई प्रबंधन टीमों की एक रचनात्मक खोज जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों या निजी क्षेत्र एजेंटों का संभावित उपयोग हो, साथ ही नकदी प्रवाह को पूरा करने के लिए बोनस /लाभ बेंचमार्कों और स्टॉक विकल्प जैसे सुसंरचित प्रोत्साहन।

आगे जोखिमों को कम करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि परियोजना मूल्यांकन में और आंतरिक विशेषज्ञता लाई जाए जिसमें परियोजना के आउटपुट के मांग अनुमानों को समझना, संभावित प्रतिस्पर्धा और प्रवर्तक की विशेषज्ञता तथा विश्वसनीयता शामिल है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जहां संभव हो, वहां वास्तविक जोखिमों को कम किया जाए और जहां संभव नहीं हो, वहां प्रवर्तक और वित्तपोषकों के बीच संविदात्मक रूप से साझे किए जाएं या एक पारदर्शी मध्यस्थता प्रणाली पर सहमति बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तपोषक परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन संबंधी मजबूत प्रणाली शुरू करें जिसमें जहां संभव हो, वहां सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग करते हुए लागत का सावधानीपूर्वक तत्काल निगरानी शामिल हो। उन्होंने कहा कि इसमें व्यावहारिक उद्योग ज्ञान और प्रोत्साहन डिज़ाइन की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ केवल सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय अभियांत्रिकी के मजबूत संबंध की आवश्यकता है। गवर्नर के अनुसार यदि ऋणों का अच्छा परिणाम निकला है तो बैंकरों के लिए प्रोत्साहन संरचना की आवश्यकता है जिससे कि वे ऋणों की संरचना और उनकी निगरानी सावधानीपूर्वक कर सकें और पदोन्नतियां सहित अच्छे रिवार्ड प्राप्त कर सकें।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक और सरकार जैसे प्राधिकार मध्यावधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच और अधिक सामान्य रूप से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच विनियामकीय व्यवहार में मतभेदों को कम करें जिससे कि उनके बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। इसे अधिदेशों की डिलीवरी का भुगतान करके और वास्तव में सुविधारहित लोगों के लिए इसे बेहतर ढंग से लक्षित कर तथा व्यवहार्य सीमा तक उचित गति पर अधिमान्य व्यवहार को समाप्त कर प्राप्त किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक समानांतर कार्य प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने का था। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) नियुक्ति प्रक्रिया के अनुभव से लाभान्वित रहते हैं, उन पर बैंकों के बोर्डों पर कार्यपालकों और गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी निर्णय को छोड़ दिया जाना चाहिए; एक बार उनमें व्यावसायिकता आ जाने पर कार्यपालकों की नियुक्तियां अंततः बैंक बोर्डों पर छोड़ देनी चाहिए। उनके विचार में, यह भी महत्वपूर्ण था कि प्राधिकारियों के प्राधिकार क्षेत्रों के बीच ओवरलैपिंग को कम करने और उनमें सुस्पष्टता लाने के लिए उन स्थितियों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जहां प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण की आवश्यकता हो और अधिकांश अभिशासन बैंक के बोर्ड की ओर स्थानांतरित हो।

मध्यम प्रबंधन जोकि सेवानिवृत्तियों के कारण कमजोर हुआ है, की श्रेणी में बाहर से पदों को भरने के लिए बैंकों को साइबर सुरक्षा के साथ परियोजना मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और आई.टी. में विशेषज्ञता रखने वाली प्रतिभाओं की तलाश करनी चाहिए। अदालतों को कुछ कैम्पस हायर करने की अनुमति देने के लिए राजी करवाने, आवेदन पत्र, परीक्षा और परिणाम वाली बैंकों की प्रवेश परीक्षा को कम दुष्कर बनाकर जहां भी संभव है वहां जल्द और ऑनलाइन परीक्षा उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर भर्ती की स्वतंत्रता दी जाने और स्थानीय श्रम बाजार के अनुरूप वेतन का भुगतान करने पर विचार किया जाना चाहिए। कम कार्यनिष्पादन करने वालों की पहचान उन्हें बेहतर बनाने में मदद करने के इरादे के साथ करने सहित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन पर बढ़ता जोर, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) जैस पुरस्कार आदि उपाय सभी कर्मचारियों को भविष्य में बैंकों में हिस्सेदारी देने में भी सहायक हो सकते हैं। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि ''इन परिवर्तनों में से कोई भी आसान नहीं हैं, लेकिन असंभव भी नहीं हैं।''

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS PressReleaseDisplay.aspx?prid=37786)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।